| | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 11/12/22 | वलुलाम पक्ष उप.। वास्ते बहस प्र. पत्र हेतु मिसल दिनांक 13/12/22 को पेश हो। महायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (फर्स्ट टेंक) फलोदी | |
| 13/12/22 | वलुलाम पक्ष उप.। वास्ते बहस प्रार्थना पत्र हेतु मिसल दिनांक 19/12/22 को पेश हो। महायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (फर्स्ट टेंक) फलोदी | |
| 19/12/22 | बहसाय पक्षकार प्रार्थना पत्र ~~पर~~ ~~0 7 R 11 CPC~~ पर अधिवक्ता प्रार्थी (प्रतिवादी 02) ने अपनी बहस में बताया की वादी ने उक्त वाद में प्रतिवादी संख्या 01 डारा प्रतिवादी 02 के हक में अपनी खातेदारी अधिकारों की ठक्र झाडे का किया गया विक्रय विलेख की प्रकाशदीन व शून्य घोषित करवाने का अनुतोष चाहा है, जिसका वादी हकदार नही है, किसी भी पंजीयत दस्तावेज (विक्रय विलेख) को प्रकाशदीन, शून्य घोषित करवाने का अधिकार मात्र सिविल न्यायालय को है, राजस्व न्यायालय को इस प्रकार के प्रकरण सुनने का कोई कानूनी क्षेत्राधिकार प्राप्त नही है, वादी का वाद सिविल प्रकृति मे टैनेबल नही होने से एवं राजस्व न्यायालय की इस फैक्ट का वाद सुनने का क्षेत्राधिकार नही होने से वाद को खारिज करवाया जावे। (अधिक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (फर्स्ट टेंक) फलोदी | |

तारीख | हुक्म या कार्यवाही जज इत्यादिवाला जज

वादी ने इस स्तर [illegible] न्यायालय में वाद पेश कर दिया है, जिसके लिये [illegible] की स्तर की है या [illegible] इसलिए वादी का वाद खारिज करने योग्य है।

अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में कहा की इस मामले का वाद राजस्व न्यायालय में चलाया जा सकता है, इस संबंध में [illegible] AIR 1960 Page-114 Ghinsalal Ahmedabad पेश की।

दोनों पक्षों को सुना, वाद में उभय पक्ष विधि का विधि प्रश्न है जो साक्ष्य के बाद ही तय किया जा सकता, इसलिए आक्षेपिका की बहस सुनी गयी, पारित आदेश के दिनांक 6/04/2023 को पेश हो।

[illegible]
सहायक कलक्टर एवं [illegible]
(फास्ट ट्रैक) फलोदी

6/4/2023 बहस सुनी गयी। पूर्व पेश दिनांक 13/04/2023 को सुनी गयी, पत्रावली का अवलोकन किया तथा पक्षों के विद्वान अधिवक्ता गणों द्वारा प्रस्तुत [illegible] का अवलोकन किया, वादी द्वारा प्रस्तुत [illegible] प्रकृति का होने से [illegible] न्यायालय द्वारा ही चलने योग्य नहीं होने से वादी पत्र R.1 लौटाए जाने योग्य पाया जाकर वादी का वाद खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर नस्तबद्ध की जावे।

[illegible]
सहायक कलक्टर [illegible] न्यायालय फलोदी
(फास्ट ट्रैक) फलोदी

म.मु.जो.

# डिगरी बमुकदमे इब्तदाई

( ऑ० २१ रूल ६, ७ जाब्ता दीवानी )

बजा अदालत सहायक कलक्टर पाली ग्रेड फलोदी

दावा डॉ० अर्चना व्यास (P.A.S)

सटीराम उर्फ सोनाराम उ/स. सुखलाराम बनाम देवाराम उ/स. सुखलाराम

जाति प्रजापत जाति प्रजापत

निवासी - बोमराज गाह, भीनमाल निवासी - कालीराना जगट (भीनमाल)

दावा बाबत 88.85.180 TEH. - BHAL. DI R.T.AEI

मुकदमा नं० 27 सन् 2022

यह आज मुताबिक रास्ते इत्तिफाक करार पाया

व हादसी प्रतीक्षा प्रोहरणा मिनजानिब मुद्दई व सुरेश कुमार बिश्नोई

मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म किया जाता है व डिगरी दी जाती है कि

वादी का दावा खारिज किया जाता है

खर्चे तुलिक बाबत

खर्ची इस मुकदमे के मय सूद वगैरह को बही दाखला आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक को अदा करें ।

बमोजब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 06 माह 02 सन् 2023 को जारी की गई है ।

दस्तखत

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (फर्स्ट ग्रेड) फलोदी

| मुद्दई | रुपये | पैसे | मुद्दायलाह | रुपये | पैसे |
|---|---|---|---|---|---|
| टाम्प अरजी दावा | | | स्टाम्प वकालतनामा | | |
| टाम्प वकालतनामा | | | स्टाम्प अरजी | | |
| टाम्प वजह सबूत | | | मेहन्ताना वकील | | |
| ेहनताना वकील | | | खर्चा गवाहान | | |
| र्चा गवाहान | | | फोस कमीशनर | | |
| ोस कमीशनर | | | बाबत इजराय हुक्मनामा | | |
| ाबत इजराय हुक्म नामा | | | मुतफर्रिक | | |
| तफर्रिक | | | | | |
| मीजान | | | मीजान | | |

नोट : इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकैन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया या नहीं दर्ज करना चाहिये ।